



Press Council of India
Soochna Bhawan, 8-CGO Complex, Lodhi
Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-46-47-
49; Fax 24368723/726;
Email: secy-pci@nic.in; so.editorial-pci@gov.in
Website : www.presscouncil.nic.in

PR/ 4/2023-PCI

Dated: 01.03.2023

Press Release

Press Council of India Advises the Print Media to follow the Norms of Journalistic Conduct-2022 on Paid News for observance during the Elections in various states

Paid News can be defined as “Any news or analysis appearing in any media (Print & Electronic) for a price in cash or kind as consideration”.

2. The Press Council of India has, therefore, formulated the following guidelines for adherence by the print media to refrain from paid news publications during elections:

- (a) The newspaper should not misconstrue or misquote the statements given by leader. The statements quoted in editorial should project the true spirit of what is being tried to be conveyed by them.
- (b) Columns of news items which largely indicate names of voters on Caste basis and supporters of the candidate of particular political party, such tenor and manner of presentation of news establish the report to be paid news.
- (c) Political news published in competing newspaper with similar content strongly suggests such reports to be paid news.
- (d) Two newspapers publishing same news item verbatim during election days is not accidental and it is evident that such news items have been published for consideration.
- (e) Manner of presentation of a news item/photograph that too in a favor of a particular party/candidate as also the appeal for voting in a favor of a particular party is suggestive of paid news.
- (f) Projecting a candidate’s success in Election who is yet to file a nomination is suggestive of paid news.
- (g) News Reports on Campaign meeting and states enthusiasm because film stars were present cannot be termed as paid news.
- (h) While covering news on election, the newspapers are advised to ensure balance in publishing report/interview of candidates.
- (i) During the course of election, subject to conditions laid down by the Election Commission of India, newspapers are free to make an honest assessment of



prospects of candidates or the parties and its publication would not be paid news so long it is not established that consideration passed on for such publication.

(j) Newspapers shall not publish any news survey predicting the victory of any political party without verification of it.

(k) An attempt to influence the voters by projecting the contesting candidate with all virtues during the election is paid news.

(l) A news item giving negative aspect of a candidate and at the same time the positive aspect of candidate of other political party without any basis clearly shows that it is paid news.

3. The Print Media is advised to take note of the above Norms of the Press Council on Paid news to follow for observance during the elections in various states.





सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soचना Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎ 24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फ़ैक्स Fax : विन्तार Extn. 320
ई-मेल E-Mail : pcibppcomplaint@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in
☎ शिकायत विभाग Complaint Section विन्तार Extn. 320

पीआर/4/2023-पीसीआई

दिनांक: 01.03.2023

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान पेड समाचार को लेकर पत्रकारिता के आचरण के मानक - 2022 का पालन करने की दी सलाह

"किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में दिये जा रहे किसी भी समाचार या विश्लेषण को जिसका मूल्य प्रतिलाभ के रूप में नकद या जिन्स में हो" पेड (प्रदत्त) समाचार कहा जा सकता है।

2. अतः भारतीय प्रेस परिषद ने चुनावों के दौरान पेड समाचारों का प्रकाशन न करने के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा पालन करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

- (क) समाचार पत्र को किसी नेता का बयान गलत अर्थ में या गलत प्रकाशित नहीं करना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सही भावना में दर्शाया जाए जैसे कि उनके द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा था।
- (ख) जिन समाचारों के स्तंभों (कॉलम) में किसी राजनीतिक दल विशेष के उम्मीदवार के समर्थकों तथा जातिगत आधार पर मतदाताओं के नाम व्यापक रूप से दर्शाये जाते हैं, इस प्रकार के समाचार प्रकाशित करने से यह सिद्ध होता है कि रिपोर्ट पेड समाचार है।
- (ग) प्रतिस्पर्धी समाचारपत्र में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित राजनीतिक समाचार पेड समाचार होने का पूरा-पूरा संकेत है।
- (घ) चुनाव के दौरान दो समाचारपत्रों में समान समाचार शब्दशः प्रकाशित होना संयोग नहीं हो सकता है और उससे स्पष्ट होता है कि वे समाचार प्रतिलाभ हेतु प्रकाशित किये गए हैं।



- (ड) कोई समाचार/फोटोग्राफ प्रस्तुत करने का ढंग और वह भी किसी एक दल विशेष के पक्ष में हो और किसी दल विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील भी की गई हो, तो वह सांकेतिक रूप से पेड समाचार है।
- (च) चुनाव में किसी उम्मीदवार, जिसे अभी नामांकन भी दर्ज करना हो, की सफलता दर्शाना सांकेतिक रूप से पेड समाचार है।
- (छ) प्रचार सभाओं पर समाचार रिपोर्टों और फिल्मी स्टार की मौजूदगी के कारण भारी उत्साह को पेड समाचार नहीं कहा जा सकता है।
- (ज) चुनाव के बारे में समाचार देते समय, समाचारपत्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्ट/ उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करने में संतुलन सुनिश्चित करें।
- (झ) चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन समाचारपत्र उम्मीदवारों या पक्षों की संभावनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं और इसका प्रकाशन पेड समाचार नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसे प्रकाशन के लिए प्रतिलाभ दिया गया है।
- (ञ) समाचारपत्र सत्यापन किए बिना, किसी भी राजनीतिक दल की जीत की भविष्यवाणी करने वाले किसी भी समाचार सर्वेक्षण को प्रकाशित नहीं करेंगे।
- (ट) चुनाव के दौरान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सभी गुणों के साथ पेश करके मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, पेड समाचार है।
- (ठ) एक उम्मीदवार/प्रत्याशी के नकारात्मक पहलू और साथ ही अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के, बिना किसी आधार के, सकारात्मक पहलुओं को देने वाला समाचार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पेड समाचार है।



3. प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान, पेड समाचारों पर प्रेस परिषद के उपर्युक्त मानकों का पालन करने हेतु ध्यान दे।

